N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2024

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0294 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 18/12/2024 14:45 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(1)(d)
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988	13(2)
3	भा दं सं 1860	420
4	भा दं सं 1860	467
5	भा दं सं 1860	468
6	भा दं सं 1860	471
7	भा दं सं 1860	120-B

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**
   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 01/01/2006 **Date To (दिनांक तक):** 31/12/2006
   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 10:00 बजे **Time To (समय तक):** 19:00 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 18/12/2024 **Time (समय):** 11:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 18/12/2024 14:45:54 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित
5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**
   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** NORTH, 40 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b) **Address(पता):** GRAM ACHAROL, AMER DISTRICT JAIPUR

(c In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S
(थाना का नाम):

District(State)
(जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): sunil sihag

(b) Father's/Mother's/Husband's Name (पिता / माता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth
(जन्म तिथि/ वर्ष): 19/10/1990

(d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue
(जारी करने की तिथि):

Place of Issue
(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	plot no 11, FRIENDS COLONY, MALVIYA NAGAR, Jaipur, MALVIYA NAGAR, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	plot no 11, FRIENDS COLONY, MALVIYA NAGAR, Jaipur, MALVIYA NAGAR, JAIPUR CITY (EAST), RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number
(दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars
(ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	INDRAJEET SINGH		पिता:RAMCHNDRA SINGH	1. KHARVASA KI DHANEE,UDAIYPURWATI,JHUNJHUNU,RAJASTHAN,INDIA
2	SURENDRA KUMAR		पिता:SHYAMSUNDRA BHARDWAJ	1. GRAM PIPALIYA POST PIPLEE,BEHROR,ALWAR,RAJASTHAN,INDIA
3	DINESH KUMAR KULSHERESHTHA		पिता:RAMCHRAN KULSHERESHTHA	1. H-68A,MEERA MARG,BANIPARK,JAIPUR

				RAJASTHAN,INDIA
4	GEETA DEVI		पत्नी:SATYANARAYAN RAIGAR	1. GRAM DEVLI,DUDU,JAIPUR CITY (SOUTH),RAJASTHAN,INDIA
5	MUKESH KUMAR SHARMA		पिता:RADHESHAYAM SHARMA	1. GRAM ACHAROL,AMER,JAIPUR CITY (NORTH),RAJASTHAN,INDIA
6	RAMKARAN RAIGAR		पिता:LAXMICHAND RAIGAR	1. GRAM ACHAROL,AMER,JAIPUR CITY (NORTH),RAJASTHAN,INDIA
7	KANARAM		पिता:DLLARAM	1. GRAM ANEE,AMER,JAIPUR CITY (NORTH),RAJASTHAN,INDIA
8	SHRWAN LAL SHARMA		पिता:GHASIRAM SHARMA	1. GRAM LABANA,AMER,JAIPUR CITY (NORTH),RAJASTHAN,INDIA
9	DURGA JOSHI AND OTHERS		पत्नी:SANDEEPDHEER	1. JAIPUR,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		21,07,870.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):** 21,07,870.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

निवेदन है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा उक्त प्राथमिक जांच संख्या 124/2013 को अपराध संख्या 48/14 में मर्ज करने का निर्णय लिया गया था, इस संदर्भ में निवेदन है कि अपरांध संख्या 48/14 एवं प्रा.जांच 124/2013 में जिस भूमि का मुआवजा उठाया गया है उनमें अलग अलग खसरा नम्बरो का मुआवजा उठाया गया है तथा आरोपी लोकसेवकों के नाम भी अलग-अलग हैं इसलिये प्राथमिक जांच संख्या 124/13 के आरोपों के सन्दर्भ में पृथक से अपराध पंजीबद्ध करना उचित रहेगा। प्राथमिक जांच संख्या 124/13 के आरोपों के संदर्भ में निवेदन है कि "परिवादी श्री रामिंसह राजावत नि. मु.पो. अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर से प्राप्त शिकायत पर मुख्यालय के निर्देशानुसार श्रीमान महावीर प्रसाद जोशी तत्कालीन पुलिस उप अधीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर नगर-प्रथम द्वारा प्राथमिक जांच संख्या 124/2013 दर्ज कर जांच की गई। शिकायत व उसके संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से पाया गया कि दिनांक 07.11.2006 को प्रमुख समाचार पत्रों में अधिसूचना जारी की गई थी कि जयपुर विकास प्राधिकरण की ग्राम अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर में स्पोर्ट्स सिटी विकसित करने हेतु भुमि की आवश्यकता है। यह घोषणा अवाप्ति अधिनियम (1894 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-1) की धारा 6 के प्रावधानों के अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी नगर विकास योजनाएं जयपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुये उक्त विज्ञप्ति खातेदारों की भूमि के खसरों एवं रकबों की अवाप्ति हेतु प्रकाशित की गई थी। श्री काना पुत्र रूपा नायक के नाम ग्राम

अचरोल के खसरा नं. 2099 रकबा 0.24 हैक्टे. भूमि थी। श्री काना की मृत्यु 60-70 वर्ष पूर्व हो चुकी थी, जिसकी उक्त भूमि को भूमाफिया श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा नि. अचरोल व श्री रामकरण रैगर पुत्र श्री लक्ष्मी चंद नि. अचरोल ने तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत अचरोल तथा तत्कालीन पटवारी हल्का अचरोल तत्कालीन तहसीलदार आमेर से मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेज तैयार करवाकर श्री काना पुत्र दल्ला राम नायक निवासी अणी तहसील आमेर जिला जयपुर को असली खातेदार काना पुत्र रूपा नायक बताकर श्री रामकरण रैगर ने अपनी साली गीतादेवी पत्नि सत्यनारायण रैगर नि. देवला तहसील दूदू जिला जयपुर के नाम बेचान बताकर दिनांक 21.12.2006 को उप पंजीयन कार्यालय आमेर से रजिस्ट्री करवा ली थी तथा भूमि अवाप्ति अधिकारी जे.डी.ए. से खसरा नम्बर 2099 रकबा 0.24 हैक्टर भूमि का मुआवजा राशि 18,97,083/- रूपये का चैक एवं टीडीएस 2,10,787/-रू की राशि श्रीमति गीतादेवी पत्नि सत्यनारायण रैगर के खाते में जमा कराकर उक्त मुआवजा राशि आरोपीगणों द्वारा फर्जी तरीके से उठा ली असली खातेदार श्री काना पुत्र रूपा नायक ग्राम अचरोल का स्वर्गवास 60-70 साल पहले हो चुका था तथा कालू पुत्र रूपा के कोई वारिस नहीं था, इसलिये उक्त भूमि लावारिस संपत्ति होने के कारण स्वतः ही राज्य सरकार की सम्पत्ति हो जाती है। आरोपियों ने मिलिभगत कर धोखाधडी से फर्जी दस्तावेज तैयार करवाकर अपने पद का दुरूपयोग कर भूमि को स्थानान्तरित करवाकर जे.डी.ए. से मुआवजा राशि 21,07,870/-रू प्राप्त कर राज्य सरकार को हानि पहुंचाई एवं स्वंय को उक्त राशि का लाभ पहुंचाया। इस प्रकार उक्त भूमि राज्य सरकार की होते हुए भी उसका फर्जी कागजात तैयार कर जेडीए से मुआवजा प्राप्त कर राज्य कोष को बेच कर दौहरा नुकसान पहुंचाया है। प्राथमिक जांच में लिये गये दस्तावेजात ग्राम पंचायत लबाना तहसील आमेर जिला जयपुर के पत्र संख्या 5 दिनांक 26.7.2013 के संलग्न श्री कानाराम पुत्र दल्लाराम जाति नायक नि. ग्राम अणी पोस्ट लबाना के राशन कार्ड दिनांक 11.5.2011 की प्रमाणित प्रति तथा राशन कार्ड बनवाने हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र जिसमें श्री कानाराम पुत्र दल्लाराम नायक नि. ग्राम अणी तहसील आमेर जिला जयपुर होना पाया गया है। जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर द्वारा स्पोर्ट्स सिटी के नाम से अवाप्त की गई भूमि के खसरा नम्बर 2099 रकबा 0.24 हैक्टेयर तथा ग्राम का नाम खातेदार का नाम की सूची प्राप्त की गई जिसमें खसरा नम्बर 2099 रकबा 0.24 हैक्टेयर श्री काना पुत्र रूपा नि. ग्राम अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर अंकित है। विक्रय पत्र (रजिस्ट्री) दिनांक 20.12.2006 की प्रमाणित फोटोप्रति प्राप्त की जिसमें विक्रेता श्री काना पुत्र रूपा नायक नि. ग्राम अणी होना बताया गया है तथा क्रेता श्रीमति गीतादेवी पत्नि सत्यनारायण द्वारा क्रय करना पाया गया है, जबकि सरपंच ग्राम पंचायत लबाना ने स्पष्ट अपने पत्र संख्या 5 दिनांक 26.7.2013 में लिखकर दिया कि राशन कार्ड रजिस्टर वर्ष 2005-06 के अनुसार कानाराम पुत्र रूपा नायक के नाम से राशन कार्ड जारी नहीं होना पाया गया है। उक्त भूमि के विक्रय पत्र दिनांक 20.12.2006 में विक्रय एवं क्रय करने के सम्बन्ध में गवाह श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा नि. ग्राम अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर व श्री रामकरण रैगर पुत्र श्री लक्ष्मीचंद रैगर नि. ग्राम अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर जो भूमाफिया हैं। पूर्व में भी ब्यूरे में दर्ज प्रकरण संख्या 48/2014 में भी कालूराम नायक को श्री रूपा नायक का पुत्र वारिस बताकर तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत लबाना से मिलीभगत कर फर्जी कुर्सीनामा तैयार करवाकर श्री रामकरण रैगर की साली गीतादेवी के नाम से रजिस्ट्री करवाकर करीब 26 लाख का जे.डी.ए. जयपुर से मुआवजा प्राप्त कर आपस में बांटना प्रमाणित पाया गया था, जिसका माननीय न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है। इसी प्रकार खसरा नं. 2099 रकबा 0.24 हैक्टेयर के फर्जी दस्तोवजात तैयार कर कानाराम पुत्र दल्लाराम जाति नायक को कानाराम पुत्र रूपाराम नायक के नाम से फर्जी दस्तावेजात तैयार करवाकर विक्रय पत्र तैयार करवाना तथा कानाराम पुत्र रूपा व गीता देवी पत्नि सत्यनारायण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज कर जे.डी.ए. से अनियमित तरीके से मुआवजा राशि 21,07,870/-रू प्राप्त कर तत्कालीन तहसीलदार श्री इन्द्रजीत सिंह द्वारा काना पुत्र दल्ला को फर्जी तरीके से काना पुत्र रूपा मानते हुए नामान्तरण खोल दिया तथा इसकी किसी तरह से जांच इत्यादी नहीं करायी जबकि जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा काना पुत्र रूपा के नाम से विज्ञप्ति जारी हो चुकी थी, जबकि नियमानुसार विज्ञप्ति के बाद किसी भी तरह के बेचान पर नामान्तरण व रजिस्ट्री नियम विरूद्व है इन सब तथ्यों को तत्कालीन तहसीलदार श्री इन्द्रजीत सिंह द्वारा नजरअंदाज किया गया। इस फर्जी तरीके से नामान्तरण खोलने तत्कालीन आईएलआर (गिरदावर) दिनेश कुमार कुलश्रेष्ठ तथा पटवारी सुरेन्द्र कुमार भारद्वाज की भूमिका है। श्री सुरेश कुमार भारद्वाज तत्कालीन पटवारी, श्री दिनेश कुमार कुलश्रेष्ठ तत्कालीन आईएलआर तहसील आमेर जिला जयपुर व श्रीमति गीतादेवी पत्नि श्री सत्यनारायण, मुकेश कुमार शर्मा पुत्र राधेश्याम शर्मा व श्री रामकरण रैगर पुत्र लक्ष्मीचंद नि0 अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर व लाभार्थी श्री कानाराम पुत्र दल्लाराम नायक नि. ग्राम अणी तहसील आमेर जिला जयपुर ने आपस में मिलीभगत कर उक्त लाभार्थी कानाराम पुत्र दल्लाराम को रूपाराम नि. ग्राम अचरोल का बताकर फर्जी दस्तावेजात तैयार करने में उक्त अधिकारी/कर्मचारी एवं प्राईवेट व्यक्तियों ने षडयंत्र रचकर मुआवजा राशि प्राप्त कर राजकोष को अनुचित नुकसान पहुंचाना व उक्त राशि का स्वंय को लाभ पहुंचाना प्रमाणित पाया गया है। जो अन्तर्गत धारा 13(1) (डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 एव 420,467,468,471 व 120बी आई. पी.सी का अपराध गठित होना पाया गया है तत्कालीन भूमि अवाप्ति अधिकारी व संबंधित कर्मचारीगण जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर की भी राजकोष को हानि पहुंचाने में एवं स्वंय को अनुचित लाभ प्राप्त करने में भूमिका रही है। अतः 1. श्री इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री रामचन्द्रसिह उम्र 56 साल निवासी खरवासा की ढाणी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनु

तत्कालीन तहसीलदार आमेर जिला जयपुर, 2. श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्यामसुन्दर भारद्वाज उम्र 71 साल निवासी ग्राम पिपलिया पोस्ट पिपली तहसील बहरोड जिला अलवर तत्कालीन तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर, 3. श्री दिनेश कुमार कुलश्रेष्ठ पुत्र स्व0 श्री रामचरण कुलश्रेष्ठ उम्र 75 साल निवासी एच-68 ए मीरा मार्ग बनीपार्क जयपुर तत्कालीन आईएलआर तहसील आमेर जिला जयपुर, 4. श्रीमती गीता देवी पत्नी सत्यनारायण रैगर उम्र 40 साल निवासी ग्राम देवली तहसील दूदू जिला जयपुर, 5. श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा उम्र 45 साल नि. ग्राम अचरोल तहसील आमेर, जयपुर, 6. श्री रामकरण रैगर पुत्र श्री लक्ष्मीचंद रैगर उम्र 48 साल नि. ग्राम अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर, 7. श्री कानाराम पुत्र दल्लाराम जाति नायक नि. ग्राम अणी तहसील आमेर जिला जयपुर (वर्ष 2006 में उम्र 65 साल मृतक), 8. तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर, 9. तत्कालीन भूमि अवाप्ति अधिकारी व संबंधित कर्मचारीगण जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के विरूद्व अन्तर्गत धारा 13(1)(डी), 13(2) पीसी एक्ट 1988 एवं धारा 420, 467, 468, 471 व 120बी भा0दं0सं0 में प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। (सुनील सिहाग) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ग्रामीण, जयपुर।..........कार्यवाही पुलिस.......... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुनील सिहाग,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर ग्रामीण, जयपुर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(डी), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं धारा 420, 467, 468, 471 व 120बी भा0दं0सं0 में आरोपीगण 1. श्री इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री रामचन्द्रसिह उम्र 56 साल निवासी खरवासा की ढाणी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनु तत्कालीन तहसीलदार आमेर जिला जयपुर, 2.श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र श्री श्यामसुन्दर भारद्वाज उम्र 71 साल निवासी ग्राम पिपलिया पोस्ट पिपली तहसील बहरोड जिला अलवर तत्कालीन तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर, 3. श्री दिनेश कुमार कुलश्रेष्ठ पुत्र स्व0 श्री रामचरण कुलश्रेष्ठ उम्र 75 साल निवासी एच-68 ए मीरा मार्ग बनीपार्क जयपुर तत्कालीन आईएलआर तहसील आमेर जिला जयपुर, 4. श्रीमती गीता देवी पत्नी सत्यनारायण रैगर उम्र 40 साल निवासी ग्राम देवली तहसील दूदू जिला जयपुर, 5. श्री मुकेश कुमार शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम शर्मा उम्र 45 साल नि. ग्राम अचरोल तहसील आमेर, जयपुर, 6. श्री रामकरण रैगर पुत्र श्री लक्ष्मीचंद रैगर उम्र 48 साल नि. ग्राम अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर, 7. श्री कानाराम पुत्र दल्लाराम जाति नायक नि. ग्राम अणी तहसील आमेर जिला जयपुर (वर्ष 2006 में उम्र 65 साल मृतक), 8. श्री श्रवण लाल शर्मा पुत्र श्री घासीराम शर्मा, जाति बागड़ा, उम्र 56 निवासी ग्राम लबाना तहसील आमेर, जिला जयपुर तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत अचरोल तहसील आमेर जिला जयपुर 9.श्रीमती दुर्गा जोशी पत्नि श्री संदीपधीर उम्र 55 हाल मृत्यु तत्कालीन भूमि अवाप्ति अधिकारी व संबंधित कर्मचारीगण जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री नवल किशोर मीना, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, दौसा को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 183 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर क्रम संख्या-1,जयपुर । क्रमांक 1624-29 दिनांक 18-12-2024 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर। 2- अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, राजस्थान, अजमेर। 3- जिला कलक्टर, जयपुर। 4उप महानिरीक्षक पुलिस-चतुर्थ, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर देहात। 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परिवाद, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर(प्राथमिक जॉच संख्या 124/2013) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जौंच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जौंच अधिकारी का नाम):** NAVAL KISHORE MEENA **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जौंच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जौंच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]2/2024 [illegible]6

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): GYAN SINGH CHOUDHARY
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	15/07/1968				
2	Male	01/07/1954				
3	Male	05/02/1950				
4	Female	1984				
5	Male	1979				
6	Male	1976				
7	Male	1941				
8	Male	1968				
9	Female	1969				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गुदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)